



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 518] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 1990/भाद्रपद 21, 1912
No. 518] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 1990/BHADRA 21, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1990

का. आ. 701(अ) :- केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 71 की उपधारा (3) के खंड (क) के अनुसरण में नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकारों को निदेश देती है जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शहरों में नगर मार्गों पर प्रचालित होने वाली मंजिली गाड़ियों

की संख्या सीमित करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को निदेश देगी।

सारणी	
राज्य	शहर
(1)	(2)
केरल	1. कालीकट 2. कोचीन
जम्मू और कश्मीर	1. श्रीनगर
उत्तर प्रदेश	1. लखनऊ 2. कानपुर 3. वाराणसी 4. आगरा 5. इलाहाबाद 6. मेरठ
मध्य प्रदेश	1. इंदौर 2. जबलपुर 3. भोपाल 4. ग्वालियर

[फा. सं. आरटी-11014/6/88 - टी ए जी]
वी. आर. चव्हाण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 1990

S.O. 701(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (3) of section 71 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby directs the State Governments specified in column (1) of the Table

below, to direct the concerned State Transport Authorities & Regional Transport Authorities to limit by notification in the Official Gazette, the number of stage carriages operating as city services in the places specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

State	Towns
(1)	(2)
Kerala	1. Calicut 2. Cochin
Jammu & Kashmir	1. Srinagar
Uttar Pradesh	1. Lucknow 2. Kanpur 3. Varanasi 4. Agra. 5. Allahabad 6. Meerut
Madhya Pradesh	1. Indore 2. Jabalpur 3. Bhopal 4. Gwalior

[F. No. RT-11014/6/88-1AG]

B.R. CHAVAN, Jt. Secy.